मील
व
ब

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–गोगरा
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व इजराय सं. 02 / 2015 (राजस्व वाद सं. 115 / 1996)
दायरा तिथि 24.06.2015 (दायरा तिथि 18.03.1996)
संशोधन निर्णय तिथि 16.05.2016 (निर्णय तिथि 30.06.1998)

प्रार्थी (वादी)–	बनामः	अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण)–
स्व.लिक्षमण पुत्र गेनाजी कौम मीणा निवासी हिंगोला तहसील सुमेरपुर के कायम मुकाम वगैरा		1–स्व.गेंगा पुत्र गेनाजी कौम मीणा निवासी हिंगोला तहसील सुमेरपुर के कायम मुकाम किशनाराम वगैरा 2–तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली

इजराय अन्तर्गत आदेश–21, नियम–11 CPC
वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 RTAct,1955

–: संशोधन निर्णय :–

दिनांक 16.05.2016

उपरोक्त अनबान की पत्रावली बरोज आज राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र गोगरा में पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पक्षकार डूंगाराम पुत्र गेंगाजी कौम मीणा निवासी हिंगोला तहसील सुमेरपुर ने लोक अदालत की भावना से पूर्व में दिनांक 30.06.1998 को निर्णित हुए मूल वादपत्र सं. 115 / 1996 में माफिक राजीनामा अनुसार संशोधन निर्णय पारित कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। इसके अलावा प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का गोगरा, भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ व तहसीलदार सुमेरपुर ने वाद–विषयक की जांच रिपोर्ट पेश की जिसके आधारित जाहिर है कि तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद सं. 115 / 1996 लिक्षमण बनामः गेंगा वगैरा अन्तर्गत धारा 53,188 RTAct,1955 में पक्षकारों के बीच हुए तस्दीक सुदा राजीनामा के आधार पर दिनांक 30.06.1998 को जो निर्णय पारित हुआ वह राजीनामा इबारत के विरोधाभाषी निर्णय हुआ, क्योंकि माफिक राजीनामा हाल खसरा नं. 502 रकबा 2.16 हेक्टर मे से 1.44 हेक्टर उत्तर की तरफ वादी लिक्षमण पुत्र गेना को देना व खसरा नं. 502 का शेष रकबा 0.72 हेक्टर दक्षिण की तरफ, खसरा नं. 501 रकबा 2.15 हेक्टर, खसरा नं. 499 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नं. 500 रकबा 0.01 हेक्टर कुल रकबा 2.96 हेक्टर प्रतिवादी गेंगा पुत्र गेना को दिया जाना तय किया गया था। माफिक निर्णय प्रतिवादी गेंगा के का.मु.–डूंगाराम द्वारा राजस्व लगान का पांच गुणा मुद्रांक स्टाम्प पेश कर दिये गये है। मौके पर उक्त राजीनामा बंट अनुसार पक्षकारों का कब्जा काश्त है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान))

Scanned by CamScanner

हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों का अवलोकन, मनन व विचारण करने के पश्चात् हमने पाया है कि पटवारी हल्का गोगरा, भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ व तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट से इस मामले में वर्णित प्रश्नगत् तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है और इस संदर्भित हमारे विधिक विचारों में लोक अदालत की भावना के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद सं. 115/1996 लिक्षमण बनामः गेंगा वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 RTAct,1955 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.1998 के अन्तर्गत पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत व तस्दीक सुदा राजीनामा की इबारत अनुरूप संशोधन निर्णय/डिक्री पर्चा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद सं. 115/1996 लिक्षमण बनामः गेंगा वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 RTAct,1955 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.1998 के अन्तर्गत पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत व तस्दीक सुदा राजीनामा की इबारत अनुसार सरहद मौजा हिंगोला, पटवार सर्कल गोगरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 502 रकबा 2.16 हेक्टर मे से 1.44 हेक्टर उत्तर की तरफ वादी स्व.लिक्षमण पुत्र गेना के विधिक कायम मुकाम/वारिसान को तथा खसरा नं. 502 का शेष रकबा 0.72 हेक्टर दक्षिण की तरफ, खसरा नं. 501 रकबा 2.15 हेक्टर, खसरा नं. 499 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नं. 500 रकबा 0.01 हेक्टर कुल रकबा 2.96 हेक्टर प्रतिवादी स्व.गेंगा पुत्र गेना के विधिक कायम मुकाम/वारिसान को राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किए जाने का संशोधन निर्णय/डिक्री पारित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का गोगरा उपरोक्त संशोधन निर्णय/डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 16.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प गोगरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner